



कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बून्दी

स्थान : प्लॉट नं. 02, शिवम कॉलोनी, खेल संकुल के पीछे, बून्दी, दूरभाष/फैक्स 0747-2940061

E-Mail : dlsa9bundi@gmail.com

क्रमांक : 146.

दिनांक : 15/07/26

सीमित निविदा

इस कार्यालय हेतु निविदा प्रपत्र में अंकित सामग्री के क्रय हेतु विनिर्दिष्ट पंजीकृत बोलीदाता/संवेदक से निम्नानुसार बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। जिसकी अनुमानित लागत 75,000 रु है। निविदा से संबंधित अन्य शर्तें यथा निविदा फार्म आदि sppp.rajasthan.gov.in, bundi.dcourts.gov.in एवं कार्यालय समय में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

निविदा दिनांक 22.07.2026 को समय सायं 04.00 तक कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। जिन्हें दिनांक 22.07.2026 को सायं 04.30 बजे इच्छुक निविदादाताओं की उपस्थिति में उपापन समिति द्वारा खोला जावेगा।

क्र.सं.	सामग्री	विवरण	अनुमानित संख्या
1	नॉर्मल फ्लैक्स (6x4 Feet)	220 GSM	100
2	कलर पैम्पलेट (अलग-अलग डिजायन) Single Side (As per sample)	8.5"x11" 90 GSM Art Paper	19000 Qty
3	कलर पैम्पलेट (अलग-अलग डिजायन) Double Side (As per sample)	8.5"x11" 90 GSM Art Paper	2000 Qty

निविदा हेतु सामान्य शर्तें :-

- दरें समस्त करें सहित प्रस्तुत करनी होगी। अनुमोदित दरें एफ.ओ.आर. रहेगी। इसके अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगी
- निविदा को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार उपापन समिति को होगा तथा सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी। आदेश देने के बाद निर्धारित समय में कार्य नहीं करने पर, गुणवत्ता व निविदानुसार नहीं पाये जाने पर स्वीकृत निविदा निरस्त कर दी जायेगी और बिल के भुगतान में नियमानुसार कटौती की जा सकती है।
- स्वीकृत निविदा के भुगतान पर नियमानुसार आयकर / जीएसटी कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
- निविदा पर समस्त शर्तें सामान्य वित्तीय लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 एवं पारदर्शिता नियम 2013 व समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश / निर्देश / परिपत्र के प्रावधान लागू होंगे।
- निविदादाता द्वारा एक से अधिक निविदा / बिड प्रस्तुत करने पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
- किसी भी कार्य / सेवा में न्यूनतम मात्रा की गारन्टी नहीं होगी।
- प्रस्तुत की जाने वाली दरें तार्किक एवं संतुलित होनी चाहिये अन्यथा निविदा निरस्त करने का अधिकार उपापन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
- दर प्रस्तावों में प्रस्तुत दरों की इकाईयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।
- उपापन समिति न्यूनतम दर वाली बोली स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है। किसी भी बोली को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार क्रय समिति को होगा।
- बोली प्रपत्र की सभी प्रपत्रों को सम्पूर्ण रूप से भरकर संलग्न दस्तावेजों सहित बोली प्रस्तुत की जानी है। प्रस्तुत की जाने वाली दरों में बोलीदाता द्वारा सभी प्रकार के व्यय एवं कर आदि को शामिल करते हुए दर प्रस्तुत करनी है। विभाग द्वारा उक्त प्रस्तुत दरों में से स्वीकृत की गई दर के अलावा किसी प्रकार का कोई अन्य भुगतान



कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बून्दी

स्थान : प्लॉट नं. 02, शिवम कॉलोनी, खोल संकुल के पीछे, बून्दी, दूरभाष/फैक्स 0747-2940061

E-Mail : dlsa9bundi@gmail.com

देय नहीं होगा। प्रस्तुत दरों में से स्वीकृत की गई दर पर पश्चातवृत्ति समय में बाजार भावों में परिवर्तन होने पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा अर्थात् दर स्वीकृति के पश्चात बाजार भावों में कमी अथवा वृद्धि होने पर भी स्वीकृत दर पर ही भुगतान देय होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि बिडिंग डॉक्यूमेंट में मांगी गई जानकारी केवल संलग्न फॉर्मेट में ही प्रस्तुत की जानी चाहिए, बिना उसके फॉर्मेट में कोई बदलाव या संशोधन किए। बदले हुए या संशोधित एनेक्सचर / फॉर्मेट के साथ प्रस्तुत की गई बोलियां (Bid) खारिज की जा सकती हैं। आवश्यक दस्तावेजों को जमा न करने, या दस्तावेजों को किसी अलग प्रारूप / सामग्री में जमा करने पर, बोली लगाने वाले द्वारा जमा की गई बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।
12. यदि किसी बोलीदाता को कोई प्रश्न है, तो वे बोली प्रकाशित होने के 5 दिनों के भीतर, अपनी फर्म/कंपनी के लेटरहेड पर सहायक दस्तावेजों के साथ, उपापन संस्था से लिखित रूप में संपर्क कर सकते हैं।
13. बोलियां निर्धारित तिथि और समय पर उन आवेदकों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी, जो वहां उपस्थित होना चाहते हैं। यदि बोली प्राप्त करने और खोलने के लिए निर्धारित तिथि को सरकारी अवकाश घोषित कर दिया जाता है, तो बोली खोलने की अगली निर्धारित तिथि, अगले कार्य दिवस पर उसी समय और स्थान पर होगी जब तक कि कार्यालय सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बून्दी द्वारा अन्यथा सूचित न किया जाए।
14. बिडिंग डॉक्यूमेंट की शर्तों में कोई शुद्धिपत्र, अतिरिक्त जानकारी या बाद में कोई स्पष्टीकरण आता है, तो उसे पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। बोली खोलने के कार्यक्रम आदि में किसी भी बदलाव की सूचना केवल पोर्टल पर ही प्रकाशित की जाएगी। किसी भी बाद के स्पष्टीकरण या संशोधनों के लिए इन पोर्टल्स पर नियमित रूप से आते रहें।
15. संपादित किये जाने वाले सामग्री / सप्लाइ कार्य / सेवा सम्बन्धी शर्तों, विस्तृत विवरण आदि के अर्थ के सम्बन्ध में कोई सन्देह हो तो कार्यालय समय में प्रभारी अधिकारी से पूछताछ की जा सकती है।
16. बोलीदाता अपनी बोली अथवा उसके सारभूत किसी भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और न किसी को आगे हस्तान्तरित कर सकेगा।
17. बोली प्रपत्र स्पष्ट रूप से भरा जावे। बोली में कोई परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिये। कोई ऑवर राइटिंग नहीं की जानी चाहिए। अशुद्धिया यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए तथा उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए। इस संबंध में उपापन समिति का निर्णय अंतिम होगा।
18. बोली दस्तावेज में परिवर्तन किसी भी समय, बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि से पहले, उपापन संस्था किसी भी कारण से – चाहे अपनी स्वयं की पहल पर हो या किसी बोलीदाता द्वारा स्पष्टीकरण के अनुरोध के परिणाम स्वरूप दिए गए प्रावधानों के अनुसार एक परिशिष्ट जारी करके बोली दस्तावेज में संशोधन कर सकती है। यदि बोली दस्तावेज में कोई संशोधन किया जाता है, या कोई ऐसा स्पष्टीकरण जारी किया जाता है जो बोली दस्तावेज में निहित शर्तों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, तो खरीद करने वाली संस्था ऐसे संशोधन या स्पष्टीकरण को उसी तरह प्रकाशित करेगी जिस तरह उसने मूल बोली दस्तावेज को प्रकाशित किया था। यदि बोली दस्तावेज के संबंध में कोई स्पष्टीकरण या संशोधन जारी किया जाता है, तो खरीद करने वाली संस्था, बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि से पहले, उस समय-सीमा को बढ़ा सकती है ताकि बोलीदाताओं को अपनी बोलियाँ जमा करते समय, यथास्थिति, उस स्पष्टीकरण या संशोधन को ध्यान में रखने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।



कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बून्दी

स्थान : प्लॉट नं. 02, शिवम कॉलोनी, खेल संकुल के पीछे, बून्दी, दूरभाष/फैक्स 0747-2940061

E-Mail : dlsa9bundi@gmail.com

19. सम्पूर्ण सामग्री सप्लाई कार्य सेवा कार्यादेश जारी होने की तिथि से निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण करना होगा। निर्धारित अवधि में सप्लाई कार्य पूर्ण नहीं होने पर आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं नियम 2013 के नियमों के अनुसार एवं दिये गये प्रावधानों व संपादित अनुबंध के अनुसार परिनिर्धारित क्षति की वसूली संबंधित संवेदक से की जायेगी तथा राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
20. राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 73 के अनुसार, मूल संविदा के माल या सेवाओं की अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनः कार्य आदेश अनुमोदित दरों पर दिया जा सकता है, बशर्ते यह व्यक्तिगत आइटम की मात्रा के 50 प्रतिशत तथा मूल संविदा के कुल मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक न हो।
21. बोलीदाता उसे सौंपे गये प्रत्येक कार्य को सही समय व सही स्थान पर अपने विवेक के आधार पर ऐसे संपादित करेगा जैसा कि एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति से समय व कार्य की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए आशा की जा सकती है।
22. परिसमापित नुकसानी, कम कार्य सम्पादन, गुणवत्ता में कमी के लिये वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। इस स्थिति में निर्धारित सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण नहीं करता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1952 या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
23. यदि बोलीदाता ऐसी शर्त आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि उपापन संस्था द्वारा जारी किए गए बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
24. उपापन संस्था किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक फर्म / प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।
25. अधिकृत बोलीदाता स्वयं उपस्थित नहीं होने की स्थिति में अपने प्रतिनिधि को बोली में भाग लेने हेतु अधिकृती पत्र (अथॉरिटी लेटर) अपने हस्ताक्षर एवं सील से जारी करेगा। इसके अभाव में प्रतिनिधि भाग नहीं ले सकेगा।
26. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र बून्दी होगा।
27. बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में लोक उपापन नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे। किसी भी सूरत में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। देय भुगतान में से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि की नियमानुसार कटौतियां की जायेगी।
28. उपरोक्त शर्तों के अलावा सा. वि.ले.नि. एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं लोक उपापन नियम 2013 तत्संबंधी नियमों की शर्तें भी मान्य होगी। यदि उक्त शर्तों में सा. वि.ले.नि. एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2013 एवं लोक उपापन नियम 2012 के तहत कोई विसंगति पाई गई तो सा. वि.ले.नि. एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 लोक



कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बून्दी

स्थान : प्लॉट नं. 02, शिवम कॉलोनी, खेल संकुल के पीछे, बून्दी, दूरभाष/फैक्स 0747-2940061

E-Mail : dlsa9bundi@gmail.com

उपापन नियम 2013 की शर्तें तथा समय-समय पर होने वाले संशोधनों सहित मान्य होगी।

29. बोली दस्तावेज पर बोलीदाता व्यक्तिगत हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा प्रस्तुत करेगा, रबड़ स्टाम्प युक्त हस्ताक्षर द्वारा प्रस्तुत निविदा संक्षिप्ततः ही निरस्त की जा सकेगी।

अध्यक्ष, उपापन समिति

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बून्दी

क्रमांक 3461-63

दिनांक 15/07/26

1. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, बून्दी को प्रेषित कर लेख है कि निविदा को जिला न्यायालय की वेबसाईड पर अपलोड किया जाये।
2. स्थापना शाखा को प्रेषित कर लेख है कि निविदा को SPPP Portal पर अपलोड किया जावे।
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा

अध्यक्ष, उपापन समिति

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बून्दी